

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 2014/माघ 23, 1935

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 240

No. 23]

DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2014/MAGHA 23, 1935 [N.C.T.D. No. 240

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मण्डल आयुक्त, राजस्व विभाग

(समन्वय शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 12 फरवरी, 2014

सं. एफ. 36(254)/समन्वय/डी.सी./2007/471.—दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 75 के उप-नियम (2) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए एवं राजस्व विभाग की पूर्व अधिसूचना एफ. 36(254)/समन्वय/डी.सी./2007/1800, दिनांक 14.11.2007 के क्रम में, मैं धर्मपाल, जिला मजिस्ट्रेट—सह—प्रधान सचिव (राजस्व)—सह—मण्डलायुक्त, दिल्ली एतद्वारा मध्य जोन की बस स्टॉप की सूची के क्रम संख्या 960 में उल्लेखित बस स्टॉप 'ज्वाला प्रसाद टिम्बर कम्पनी' के स्थान पर 'कोटला बाजार' को संशोधित करता हूँ।

धर्मपाल, जिला अधिकारी/मण्डलायुक्त (राजस्व)

OFFICE OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, REVENUE DEPARTMENT
(CO-ORDINATION BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 12th February, 2014

No. F. 36(254)/Coord./DC/2007/471.—In exercise of powers conferred by sub-rule (2) of rule 75 of the Delhi Motor Vehicle Rule, 1993 and in continuation of Revenue Department's earlier Notification No. F. 36(254)/Coord./DC/2007/1800, dated 14.11.2007 I, Dharam Pal, Pr. Secretary (Revenue)-cum-Divisional Commissioner, Delhi being the District Magistrate, hereby modify the location of the bus stop mentioned at Serial No. 960 of the list of bus stops of Central Zone namely from "Jawala Parshad Timber co." to "Kotla Market".

DHARAM PAL, District Magistrate-cum-Divisional Commissioner

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 फरवरी, 2014

फा.सं. 82(265)एडी-III/संशो.पीडब्ल्यूडी एक्ट/स.क.वि./09/18340-358.—दिनांक 06-09-2011 की अधिसूचना सं. फा. 82(265)/एडी-III/संशो.पीडब्ल्यूडी एक्ट/स.क.वि./09/9261-284 के क्रम में और निःषक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (त) के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (न) में यथोल्लिखित निःषक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये जिलेवार निम्नलिखित अस्पतालों को नामांकित करते हैं। ये अस्पताल एवं संस्थान निम्न तालिका के कॉलम 3 में इसके कॉलम 2 में उल्लिखित निःषक्तता के प्रकार के लिये चिकित्सा प्राधिकारी और आगे निदेश देते हैं कि कॉलम 4 में उल्लिखित अस्पतालों/संस्थाओं के चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा प्राधिकरण की ओर से निःषक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत होंगे।

क्र. सं.	निःशक्तता का प्रकार	कॉलम 2 में उल्लिखित निःशक्तता के लिये चिकित्सा प्राधिकरण के लिये अधिसूचित किये जा रहे अस्पताल/संस्थान	कॉलम 3 में उल्लिखित अस्पताल/संस्थानों में कार्य चिकित्सा अधिकारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम है।	जिला	कथन
1.	मानसिक विकलांगता/रोग तथा स्नायविक विसंगतियां/सेरेवरल पाल्सी आदि	वीएमएमसी एवं सफदरजंग अस्पताल	संबंधित क्षेत्र (मनोविज्ञान, स्नायुरोग विज्ञान, स्नायु चिकित्सा) में एकल विशेषज्ञ डाक्टर	दक्षिण-पश्चिम	—
2.	—वही—	राम मनोहर लोहिया अस्पताल	—वही—	नई दिल्ली तथा मध्य	—
3.	—वही—	लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल	—वही—	बाहरी	—
4.	—वही—	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान (एआईआईएमएस)	—वही—	दक्षिणी-पूर्व	—
5.	—वही—	गुरु तेग बहादुर अस्पताल	—वही—	उत्तर-पूर्व	—
6.	—वही—	मानव व्यवहार एंड सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, (आईएचबीएस)	—वही—	पूर्वी, उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर	ऐसी स्थिति में जब किसी अस्पताल में संबंधित विशेषज्ञता का

					विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है तो वह अस्पताल ऐसे मामले को इहबास तैयार कर सकता है।
7.	मनसिक विकलांगता/ रोग तथा स्थायनिक विसंगतियां/सेरेबरल पाल्सी आदि	जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल एवं दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल	संबंधित क्षेत्र (मनोविज्ञान, स्नायुरोग विज्ञान, स्नायु चिकित्सा) में एकल विशेषज्ञ डाक्टर	पश्चिम	आवेदन पत्र जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल निःषक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाएगी और यदि आवश्यक हो, तो दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल का विशेषज्ञ जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में व्यक्ति के जांच के लिए सहयोजित किया जाएगा।
8.	—वही—	लोक नायक अस्पताल एवं जी.बी. पंत अस्पताल	—वही—	दक्षिण	आवेदन पत्र गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल निःषक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाएगी और यदि आवश्यक हो, तो लोक नायक अस्पताल विशेषज्ञ गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल में व्यक्ति की जांच के लिए सहयोजित किया जाएगा।

नोट :-यदि संबंधित क्षेत्र का पदनामित चिकित्सा अधिकारी, जो निःषक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है, छुट्टी पर है या उपस्थित नहीं है तो संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। चिकित्सा अधीक्षक यथासंशोधित दिल्ली निःषक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियमावली, 2011 के नियम 4 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निःषक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने को सुनिश्चित करेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

अचला सिंह, निदेशक (समाज कल्याण)

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 12th February, 2014

F. No. 82(265)/AD-III/Amendment PWD Act./DSW/09/18340-358.—In continuation of Notification No. F. 82(265)/AD-III/Amendment PWD Act./DSW/09/9261-284, dated 06/09/2011 and in pursuance of the provisions of clause (p) of Section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996), the Lt. Governor of NCT of Delhi is pleased to nominate the following hospitals, district-wise for issue of certificates of disability as mentioned in clause (t) of Section 2, of the said Act, the hospitals and institutions mentioned in Column 3 of the table given below, as 'medical authorities' for the type of disabilities mentioned in column 2 thereof, and further directs that the Medical Officers of the hospitals/institutions as mentioned in column 4 shall be authorized to sign the disability certificates on behalf of the medical authority.

Sl. No.	Types of disability	Hospital/Institution being notified as "Medical Authority" for disabilities mentioned in column no. 2	Medical officers working in the Hospital/Institution mentioned in column 3 competent to issue certificate of disability	District	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Mental Retardation / Illness and other Neurological Disorders/ Cerebral Palsy etc.	VMMC and Safdarjung Hospital	Single Specialist doctor of the concerned field. (i.e. Psychiatry, Neurology, Neurosurgery)	South West	—
2.	-do-	Ram Manohar Lohia Hospital	-do-	New Delhi and Central	—
3.	-do-	Lady Hardinge Medical College and Hospital	-do-	Outer	—
4.	-do-	All India Institute of Medical Sciences (AIIMS)	-do-	South East	—
5.	-do-	Guru Teg Bahadur Hospital	-do-	North East	—
6.	-do-	Institute of Human Behaviour and Allied Science (IHBAS)	-do-	East, North-West and North	In case of such a situation, when any of the hospitals do not have specialist from the related specialization, then the case can be referred by that hospital to IHBAS
7.	-do-	Janakpuri Super Speciality Hospital and Deen Dayal Upadhyay Hospital	-do-	West	Application will be submitted by the disabled person in Janakpuri Super Speciality Hospital and if needed, the specialists of Deen Dayal Upadhyay Hospital will be co-opted for examining the person in Janakpuri Super Speciality Hospital
8.	-do-	Lok Nayak Hospital and G.B. Pant Hospital	-do-	South	Application will be submitted by the disabled person in G.B. Pant Hospital and if needed, the specialists of Lok Nayak Hospital will be co-opted to examine the person in G.B. Pant hospital.

Note : If a designated doctor of concerned field who has been authorized to issue disability certificate is on leave or is not present, a suitable alternative arrangement will be made by the Medical Superintendent of the concerned hospital. The Medical Superintendent will ensure the issuance of disability certificate within the time period specified in rule 4 of Delhi Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2011 as amended.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of Delhi,
ACHLA SINGH, Director (Social Welfare)